30/5/17 पत्रावली आज वास्ते हुक्म। कैम्प कोर्ट में प्रस्तुत हुई।
प्रार्थी/वादी उपस्थित। प्रतिवादीगण अनु.। बार-बार आवाज
लगाई बाद अनुपस्थित। विपक्षी (1) से (6) के विरुद्ध
एकपक्षीय किया जाता है। प.प. स्वीकार किया जाता है।
आदेश पृथक से लिखा जाकर संलग्न पत्रावली किया गया।
पत्रावली फैसलशुदा होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

राजस्व लोक अदालत : न्याय आपके द्वार – 2017
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा, केम्प कोर्ट – महूआकलां
पीठासीन अधिकारी– राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :– 37/2017

1. मोहम्मद सद्दीक पिता छोटू बिसायती, निवासी नाथद्वारा सराय, भीलवाडा।

–प्रार्थी

बनाम

1. देबीलाल पिता हरलाल भील, निवासी महुआ कलां तहसील व जिला भीलवाडा।
2. बद्री पिता काना भील, निवासी महुआ कलां तहसील व जिला भीलवाडा।
3. रामप्रसाद पिता काना भील, निवासी महुआ कलां तहसील व जिला भीलवाडा।
4. सुखा पिता काना भील, निवासी महुआ कलां तहसील व जिला भीलवाडा।
5. भैरू पिता बद्री दरोगा, निवासी महुआ कलां तहसील व जिला भीलवाडा।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू.–राज.अधि., 1956

निर्णय

दिनांक 30.05.2017

प्रार्थी के अधिवक्ता की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज. भू.–राज. अधि., 1956 के तहत इस कार्यालय मे दिनांक 14.02.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम महुआ कलां पटवार हल्का महुआ कलां, भू–अभिलेख क्षैत्र भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी संख्या 524 रकबा 03–13 बीघा, कुल किता 01 कुल रकबा 03–13 बीघा कृषि भूमि स्थित है। उक्त आराजी के विपक्षीगण पडौसी है। प्रार्थी एंव विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें ।

प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित, बहस सुनी गई। विपक्षीगण संख्या 01 से 05 तक उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी है। बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से निःसंदेह है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है, वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अभिलेख मे किसी प्रकार से परिवर्तन होने का अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किए जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम महुआ कलां पटवार हल्का महुआ कलां, भू–अभिलेख क्षैत्र भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी संख्या 524 रकबा 03–13 बीघा, कुल किता 01 कुल रकबा 03–13 बीघा भूमि की पत्थरगढी उक्त आराजी में फसल कट जाने के पश्चात 15 दिवस में उभय पक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी कर तामील करा उभय पक्षकरान की उपस्थिति में करा देंवे। प्रार्थी इस कार्य के लिये तहसील भीलवाडा में 400/– अक्षरे चार सौ रूपये बतौर खर्चा सरकारी मद में राजकोष मे जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/– रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार भीलवाडा विधिवत पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट भिजावे।

आदेश आज दिनांक 30.05.2017 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल फाईल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
पदेन सहायकभीलवाडा भीलवाड़ा